Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 16-08-2005

Participants : Thummar Shri Virjibhai

>

Title : Need to reduce the premium charged on Crop Insurance Scheme in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat.

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एवं अमरेली के आसपास कपास की खेती काफी होती है और किसानों के परिवार कपास की खेती पर निर्भर है। वर्तमान समय में कपास की खेती पर फसल बीमा योजना का प्रीमियम 14.5 प्रतिशत लिया जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि इसे बढ़ाकर 15.5 प्रतिशत किया गया है। किसान बैंकों से 12 प्रतिशत की दर से लोन लेते हैं और प्रीमियम एवं ब्याज की दर दोनों मिलाकर 27.5 प्रतिशत बैठती है, जिससे कपास के उत्पादन की लागत बढती है एवं किसानों को अधिका लागत होने से कपास के उत्पादन से लाभ भी नहीं पाता है। कृाि फसल बीमा योजना किसानों के हित और उनको प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए बनायी गयी थी, किंतु बीमा योजना में भुगतान बहुत देर से मिलता है। किसनों को इस बीमा राशि को प्राप्त करने हेतु दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम 14.5 है, उसे कम किया जाये एवं फसल बीमा योजना का भुगतान हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाये।